

राजाज्ञा संख्या 2492/36-1-2000-549 (एस टी)-84 दिनांक 15-5-2000 के अनुसार 50 उससे अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले इंजीनियरिंग उद्योगों में 426 अंक के ऊपर अखि भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1982 = 100 के आधार पर जनवरी 2011 से जून 2011 के और सूचकांक 864 पर निम्न तालिका के अनुसार देय परिवर्तनीय महगाई भत्ते की दरे अंकित हैं।  
दृष्टांत - 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन के अकुशल कर्मचारियों को और 864 पर दिनांक 1-08-2011 से 31-01-2012 तक प्रतिमाह महगाई भत्ता निम्नलिखित है -

$$\frac{(864 - 426) \times 2535.00}{426} = 2606.41$$

1- 50 से 500 तक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन-

क. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 864 पर देय दिनांक 1-8-2011 से 31-1-2012 तक
1	अकुशल	2535.00	2606.41
2	अर्द्धकुशल	2785.00	2863.45
3	कुशल	3090.00	3177.04

2- 500 से अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले स्थापन-

क. सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	मासिक मूल न्यूनतम मजदूरी	औसत 864 पर देय दिनांक 1-8-2011 से 31-1-2012 तक
1	अकुशल	2660.00	2734.93
2	अर्द्धकुशल	2925.00	3007.39
3	कुशल	3190.00	3279.86

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड हल्द्वानी।

संख्या 2010 /4-01/07

दिनांक 4/8/11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- अपर/उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, 298, हिमगिरी बिहार, अजयपुर खुर्द, देहरादून।
- 2- उप श्रम आयुक्त, कुमायूँ क्षेत्र, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

  
 (पी०एस०कुटियाल)  
 श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड